भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1931

30 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

लिवेबिलिटी सूचकांक प्रणाली

†1931. श्री बस्तीपति नागराजूः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) लिवेबिलिटी सूचकांक के अंतर्गत अगला मूल्यांकन आयोजित करने के लिए निर्धारित समय-सीमा और इसके कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित चरणों की संख्या कितनी है;

(ख) लिवेबिलिटी सूचकांक मूल्यांकन के अंतर्गत कवर किए जाने के लिए प्रस्तावित शहरों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) लिवेबिलिटी का मूल्यांकन करने के लिए अपनाए गए मानदंडों और प्रत्येक पैरामीटर को दिए गए वेटेज का ब्यौरा क्या है;

(घ) नागरिक और उपयोगकर्ता धारणा सर्वेक्षणों में प्रभावी सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित करने और कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से शहरों की क्षमता निर्माण के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) डेटा सत्यापन और स्वतंत्र सत्यापन के लिए मौजूद तंत्रों सहित लिवेबिलिटी सूचकांक मूल्यांकन का समयबद्ध, पारदर्शी और विश्वसनीय समापन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क): जी, नहीं।

(ख) से (ङ): प्रश्न नहीं उठता।
